उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-191/2019/2790/92-2-2019-50(जांच)/2018
लखनऊ :: दिनांक:: 09 दिसम्बर, 2019

**कार्यालय-ज्ञाप**

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड मिर्जापुर में आई स्पर्श स्मार्ट ग्राम योजना के अन्तर्गत ग्राम रामपुर में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य जिसकी अनुबंधित धनराशि रू0 1,13,56,624.00 थी के कार्य का एक बार भी निरीक्षण नहीं किये जाने तथा डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रूबन मिशन योजना के अन्तर्गत पटेहरा कला क्लस्टर में 02 बल्क मिल्क कूलिंग चिलिंग प्लांट के स्थापना केन्द्र का निर्माण कार्य की स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्राइंग स्वीकृत नहीं करने हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-2465/92-2-2018-50(जांच)/2018, दिनांक 29.11.2018 द्वारा श्री ए0के0 गर्ग, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल विन्ध्यांचल मिर्जापुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण निर्गत करते हुए निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2- शासन स्तर से निर्गत स्पष्टीकरण, अपचारी अधिकारी का उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में श्री ए0के0 गर्ग के विरूद्ध किसी प्रकार की शासकीय क्षति कारित किया जाना नहीं पाया गया। श्री गर्ग को निरीक्षण कार्यों तथा 02 बल्क मिल्क चिलिंग प्लांट कार्य की स्ट्रेक्चर डिजाइन ड्राइंग स्वीकृत नहीं किये जाने हेतु उततरदायी पाया गया। श्री गर्ग जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.08.2019 को सेवानिवृत्त हो गयें हैं, को उक्त अनियमितता हेतु किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर नहीं रहने के कारण शासन के पत्र संख्या-2465/92-2-2018-50(जांच)/2018, दिनांक 29.11.2018 द्वारा श्री ए0के0 गर्ग, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल विन्ध्यांचल मिर्जापुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत निर्गत स्पष्टीकरण मे उन्हें दोषमुक्त करते हुए दण्ड रहित समाप्त किए जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-191/2019/2790(1)/92-2-2019 तददिनांक।**

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- श्री ए0के0 गर्ग, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल विन्ध्यांचल मिर्जापुर सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अवध नारायण )
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।